

राजस्थान सरकार  
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक:- सं.27-1(5)/पदो/अभि/2023/475-482 दिनांक:- 16/06/23  
:- आदेश :-

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर निम्नलिखित अतिरिक्त निजी सचिव को निजी सचिव के पद पर वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के पे मैट्रिक्स लेवल -15 में पदोन्नत किया जाता है ।

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	वर्ग	रिक्ति जिसके विरुद्ध घयन किया गया	वि.वि.
1	2	3	5	6
01.	श्री रामावतार शर्मा पुत्र श्री जगदीश नारायण शर्मा	सामान्य	01.07.2023	-

उपरोक्त पदोन्नत कार्मिक का पदोन्नति पर पदस्थापन निजी सचिव, निदेशक अभियोजन के पद पर किया जाता है। पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नकद लाभ पदोन्नत पद पर उपस्थिति की दिनांक से देय होंगे। उपरोक्त पदोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है। पदस्थापन आदेश दिनांक 01.07.2023 से प्रभावी होंगे।

(रवि शर्मा )  
निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन ।
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन / न्याय राजस्थान जयपुर ।
3. समस्त उप निदेशक अभियोजन (मु.) सहित ।
4. सहायक निदेशक अभियोजन (मु.) सहित ।
5. संस्थापन अधिकारी अभियोजन निदेशालय ।
6. संस्थापन शाखा (राजपत्रित) अभियोजन निदेशालय ।
7. सम्बन्धित कार्मिक .....द्वारा :- संस्थापन शाखा (राजपत्रित) अभियोजन निदेशालय ।
8. रक्षित पत्रावली ।

निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Rav Sharma  
Designation : Director  
Date: 2023.06.16 10:42:25 IST  
Reason: Approved

